# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू (राज.)

## पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

वाद सं.– 110/22

धन्नाराम पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
2. नानूराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू
3. भंवरलाल पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी कांधलसर तहसील बीदासर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

**राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन व चिर निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्ति बाबत।**

उपस्थित :– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट– वकील वादी
2. श्री जगदीश प्रजापत एडवोकेट – वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

**–: निर्णय :–** दिनांकः–04.01.2023

प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा संख्या 1271/769 तादादी 8.1503 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी 1/4 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है। जिसे आगे वादगत भूमि कहा गया है। वादगत भूमि का मौके पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन की हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन किया हुआ है। मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन अपने–अपने हिस्से की भूमि को काश्त करते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन का खान–पान, लेन–देन सब अलग–अलग है। वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश प्राप्त करने में भारी परेशानी उठानी पड रही है। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने हिस्से की खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में पृथक अंकित करवाकर लगान का विभाजन कराये। जिसके लिए वादी को कानुनी अधिकार प्राप्त है। वादी ने दिनांक 20.12.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन से मौखिक रूप से निवेदन किया कि वादगत भूमि का विधिवत विभाजन करवाकर अपने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पृथक–पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन साफ इनकार

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन ने वादी को ऐलानीयां तोर पर धमकियां दी कि वोह अच्छी किश्म की भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करके वादी को बेदखल करेंगे तथा किसी भूमाफियों को विक्रय करके अच्छी किश्म की भूमि का कब्जा करवाकर ही रहेगे, जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन अपने गैरकानूनी कृत्य में सफल हो गये तो वादी को न केवल अपूर्तिय क्षति होगी बल्कि भयंकर असुविधा भी होगी। इसलिए वादी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय से चिर निशेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन को वर्जित कराये कि वोह वादी को अपनी हिस्सा भूमि से जबरन बलपूर्वक कब्जा करके बेदखल नहीं करें और जब तक विधिवत रूप से विभाजन नहीं हो जाता तब तक किसी हिस्से या अंश को विक्रय हस्तांतरण रहन आदि नहीं करें ओर ना ही वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधायें रूकावटें आदि पैदा करें या किसी अन्य से करवायें। वादगत खेत वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का होने से वादी को वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 एक ता 3 तीन की ऐलानियां धमकियां से वादी को वाद हेतुक प्राप्त है। राज्य सरकार भू धारक है जो वाद में आवश्यक पक्षकार है। कानूनी आपतियों को मध्य नजर रखते हुए राजस्थान सरकार को वाद में प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वाद वादी संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन एंव चिर निशेधाज्ञा डिक्री प्राप्ति का है। वादगत खेत रोही ग्राम शिवपुरी तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है इसलिए इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। वाद वादी निर्धारित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। आदि–आदि अंकित कर वाद पत्र पेश किया।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। पक्षकारों ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया। दावा में पक्षकारों की ओर से राजीनामा पेश करने के कारण तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी ने वाद के समर्थन में वादगत भूमि की जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश की है। राजीनामा में वादी की पहचान श्री मनोज गोदारा एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की पहचान श्री जगदीश प्रजापत एडवोकेट द्वारा की गई। राजीनामा को पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया गया तो पक्षकारान् ने राजीनामा का निष्पादन करना व सही होना स्वीकार किया तथा राजीनामा के अनुसार दावा को डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस वकुलान की सुनी गई। वकुलान ने बहस में दावा को राजीनामा अनुसार डिक्री करने का निवेदन किया। किसी भी पक्षकार द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के बीच हुए राजीनामा पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। पक्षकारों के बीच किया गया राजीनामा विधि के प्रावधानों के

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

विरूध अथवा किसी लोकनिति के विपरीत नहीं है। धारा 89 सीपीसी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक न्यायालय द्वारा विवाद को उभयपक्ष की सहमति व समझाईस से निर्णित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। पक्षकारों के आपस में वाद के किसी तथ्यों को लेकर कोई विवाद ना हो तथा पक्षकारों के मध्य सांमजस्य की भावना बनी रहे व वाद पत्र की प्रकृति को देखते हुए पक्षकारान् का वाद राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

**—: आदेश :—**

अतः पक्षकारान का वाद विभाजन का स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री इस प्रकार किया जाता है कि वादगत भूमि रोही ग्राम शिवपुरी के खसरा संख्या 1271/769 तादादी 8.1503 हेक्टेयर में सें 0.1485 हेक्टेयर, 0.3815 हेक्टेयर, 0.2341 हेक्टेयर, 0.3373 हेक्टेयर, 0.1775 हेक्टेयर (पांच अलग—अलग जगह पर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार) भंवरलाल पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवासी कांधलसर के नाम से अलग खातेदारी में व 0.2438 हेक्टेयर, 0.2341 हेक्टेयर, 0.2737 हेक्टेयर (तीन अलग—अलग जगह पर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार) नानूराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी बाढसर के नाम से अलग खातेदारी में व 0.1951 हेक्टेयर, 0.2438 हेक्टेयर, 0.2211 हेक्टेयर, 0.1090 हेक्टेयर (चार अलग—अलग जगह पर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार) जगदीश पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बाढसर के नाम से अलग खातेदारी में व 0.0999 हेक्टेयर, 0.1951 हेक्टेयर, 0.1561 हेक्टेयर, 0.0450 हेक्टेयर, 0.2942 हेक्टेयर (पांच अलग—अलग जगह पर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार) धन्नाराम पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बाढसर के नाम से अलग खातेदारी में व 0.4622 हेक्टेयर, 3.0309 हेक्टेयर (दौ अलग—अलग जगह पर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार) धन्नाराम, जगदीश पुत्रगण बालुराम, नानूराम पुत्र हरूराम जाति जाट निवासी बाढसर के संयुक्त नाम से ब.हि.ब. अलग खातेदारी में दर्ज कर लगान का विभाजन करने व सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार रास्तों के रूप में छोडी गई भूमि 1.0674 हेक्टेयर को गैर मुमकिन रास्ता (सरकारी खाता में) दर्ज किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। अंतिम डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। खर्चा पक्षकार स्वंय वहन करें। निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner